राष्ट्रीय आवास बैंक हेतु वीडियो कॉन्फ्रेस अनुरक्षण/सहायता सेवाएं
हेतु
प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)-

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मुख्य कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली -110003
फोन: 011-39187234, 011-39187044
ईमेल: rajiv.ranjan@nhb.org.in , anuj.rastogi@nhb.org.in

क. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली दस्तावेजों की बिक्री शुरु होने की तारीख	02-09-2019
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (तारीख एवं समय)	27-09-2019 : 1100 बजे
3.	बोली दस्तावेज बिक्री की अंतिम तारीख एवं समय	10-10-2019 : 1800 बजे
4.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	10-10-2019 : 1800 बजे
5.	तकनीकी बोली खोलने की तारीख एवं समय	14-10-2019 : 1500 बजे
6.	बयाना - जमा राशि	2,00,000/- रुपये
7.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मुख्य कार्यालय कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

टिप्पणी : -

- **तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उक्त अनुसार इसमें भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि व्यावसायिक बोली खोलने की तिथि, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी अहर्ता-प्राप्त बोलीदाताओं को सूचित किए जाएंगे।**

- **इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना, रिपोर्ट की जायेगी और इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जायेगी।**

2. राष्ट्रीय अवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत की गई है।

क. रा.आ.बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षक प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु,कोलकाता और अहमदाबाद में है।

3. उद्देश्य/प्रयोजन

आरएफपी का उद्देश्य, बैंक की मौजूदा वीसी अवसंरचना के समर्थन और अनुरक्षण हेतु अहर्ता-प्राप्त विक्रेताओं से प्रस्तावों की मांग करनी है।

4. वर्तमान व्यवस्था

रा.आ.बैंक ने **नई दिल्ली में डाटा सेंटर [डीसी]** और **मुंबई में आपदा उद्धार [डीआर] साइट** के साथ केंद्रीयकृत सेटअप किया है। अन्य सभी कार्यालय एमपीएलएस नेटवर्क के माध्यम से वैन पर हैं। सभी एप्लिकेशन, डेटा सेंटर, नई दिल्ली में होस्ट किए गए हैं और एमपीएलएस वीपीएन पर सभी कार्यालयों / स्थानों द्वारा एक्सेस किए गए हैं।
डीसी और डीआर साइटों सहित सभी स्थान एमपीएलएस नेटवर्क के साथ संबंद्ध हैं। वर्तमान में इन डीसी और डीआर सेंटर के बीच बैंडविड्थ 2 एमबीपीएस है और सभी आरआरओ 512 केबीपीएस लिंक से जुड़े हैं। बैंडविड्थ सभी स्थानों पर उन्नयन के अधीन है

मौजूदा अवसंरचना

- बैंक ने बैंक अधिकारियों को विभिन्न आईटी सेवाएं प्रदान करने हेतु डेटा सेंटर की स्थापना की है। सेवाओं में वीसी, सैप, ईमेल, फ़ाइल सर्वर आदि शामिल हैं। सभी सेवाएँ सूचना आधारित सेवाएँ हैं

जिनमें डेटा को एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानांतरित किया जाता है। प्रमुख कार्यों के निरंतर वितरण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक के पास एमआरओ में आपदा उद्धार (डीआर) साइट है।

- बैंक ने एक वीसी अवसंरचना की स्थापना की है जिसके तहत सभी कार्यालय एमपीएलएस पर डीसी से जुड़े हैं। बैंक में डीसी पर एमसीयू स्थापित है। 4 वीसी एंडपॉइंट्स मुख्यालय में हैं और प्रत्येक आरओ / आरओआरएस पर 5 वीसी एंडपॉइंट्स यानी अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बैंगलोर हैं। अवसंरचना का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	**विवरण**	**स्थान**	**मात्रा**
1	पॉलीकॉम आरएमएक्स 2000	दिल्ली	1
2	पॉलीकॉम एचडीएक्स 7000	2 दिल्ली में, 1 मुंबई में	(दिल्ली में 2 + मुंबई में 1) 3
3	पॉलीकॉम एचडीएक्स 600	आरआरओ	4
4	पॉलीकॉम एचडीएक्स 4000	दिल्ली	2
5	पॉलीकॉम सीआरपीवीडीएम	दिल्ली	1
6	पॉलीकॉम आरपीएडी	दिल्ली	1
7	पॉलीकॉम आरएसएस 4000	दिल्ली	1
8	पॉलीकॉम 5300एलएफ2	दिल्ली	1
9	सैमसंग 550 ईएक्स	दिल्ली	1
10	पॉलीकॉम एचडीएक्स 6000	दिल्ली	3
11	सैमसंग 550 डीएक्स	मुंबई	1
12	सैमसंग 320 एमएक्स 3	आरआरओ	4
13	सैमसंग 320 एमएक्स 3	दिल्ली	2
14	एलजी 42एलवाई540एस	दिल्ली	1
15	आरपीएम	दिल्ली	1
16	आरएमएक्स 2000 मॉड्यूल	दिल्ली	1
17	ईई निदेशक	दिल्ली	2
18	पॉलीकॉम मीडिया कार्ट मानक एक्सेसिरिज़ के साथ	सभी कार्यालय	9

रा.आ.बैंक का वीसी अवसंरचना चित्र

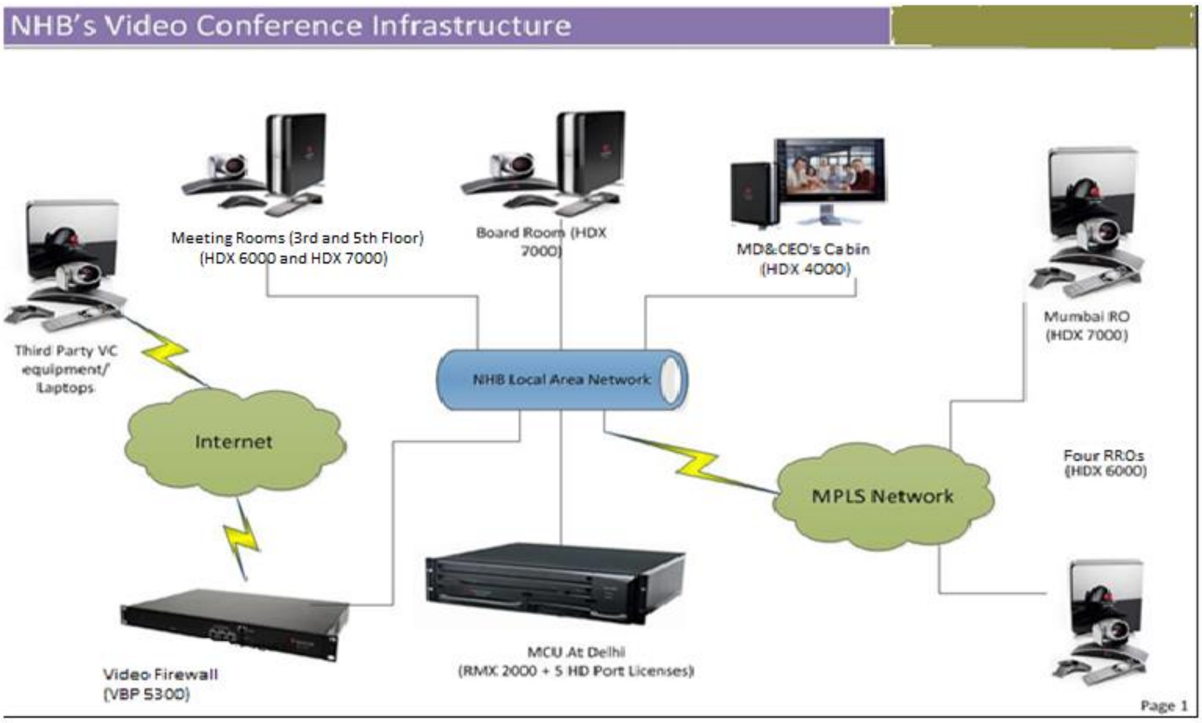

वीसी अवसंरचना की श्रेणीवार जानकारी (घटकों की क्रमिक संख्या) निम्नानुसार है-

<u>पॉलीकॉम डिवाइसेस</u>

स्थान/डिवाइस	पॉलीकॉम एचडीएक्स4000	पॉलीकॉम एचडीएक्स 7000	पॉलीकॉम एचडीएक्स 6000	पॉलीकॉम आरएमएक्स 2000 एमसीयू 7.2.2.64	सीआर पीवीडीएम	आरपीएडी	पॉलीकॉम आरएसएएस4000	पॉलीकॉम 5300एलएफ2	ईई डायरेक्टर	वारंटी की स्थिति
दिल्ली	8211380051एएसीजे									31.12.2019
दिल्ली		8210180सी9048सीएन								31.12.2019
दिल्ली		8210370सीसी7डी6सीएन								31.12.2019
दिल्ली				वीआर2110728081						31.12.2019
दिल्ली					जेडडीजेड63एनक्यूजेड1					24.12.2019

					2टी5एन वाई6ए आरएफ 76, जेडआर जेड63ए नक्यूजेड 12टी5ए नवाई6ए आरएफ 90					
दिल्ली						डी जी6 एमड ब्ल्यू 12				24.12. 2019
दिल्ली							0004एफ 2949बी सी0			24.12. 2019
दिल्ली								5439680 137एफए फ		31.12. 2019
दिल्ली	8211380 डीए21एफ सीएच									24.12. 2019
मुंबई		8211120 डीडी697 सीएन								31.12. 2019
बैंगलोर			8211350 ई4डी80 सीपी							31.12. 2019
दिल्ली			8211350 ई4ई2बीसी पी							31.12. 2019
कोलकाता			8211350 ई4ई40सी पी							31.12. 2019
दिल्ली			8211350 ई4ई06सी पी							31.12. 2019

अहमदाबाद			8211350 ई4ई22सीपी							31.12.2019
हैदराबाद			8211350 ई4डी57 सीपी							31.12.2019
दिल्ली			8211390 ई549बी सीपी							24.12.2019
दिल्ली									8ए141 20025 एफ9सी एल	24.12.2019
दिल्ली									8ए141 20025 6बीसीए ल	24.12.2019
दिल्ली				एक्स105 6-1111-3055-4636						24.12.2019

स्थान/डिवाइस	**पॉलीकॉम एचडीएक्स 4000**	**पॉलीकॉम एचडीएक्स 7000**	**पॉलीकॉम एचडीएक्स 6000**	**पॉलीकॉम आरएमएक्स 2000 एमसीयू7.2.2.64**	**सीआरपी वीडीएम**	**आरपीएडी**	**वीबीपी5 300एलए फ2**
दिल्ली	8211380051 एएसीजे						
दिल्ली		8210180सी9 048सीएन					
दिल्ली		8210370सी सी7डी6सीएन					
दिल्ली				वीआर21107 28081			
दिल्ली					63एनक्यू जेड12		
दिल्ली						डीजी6एमड ब्ल्यू12	
दिल्ली							5439680 137एफए फ

मुंबई		8211120डी डी697सीएन					
बैंगलोर			8211350ई4 डी80सीपी				
दिल्ली			8211350ई4ई 2बीसीपी				
कोलकाता			8211350ई4ई 40सीपी				
दिल्ली			8211350ई4ई 06सीपी				
दिल्ली			8211350ई0ई 5सीसी8				
अहमदाबाद			8211350ई4ई 22सीपी				
हैदराबाद			8211350ई4 डी57सीपी				

5. कार्य-क्षेत्र/प्रदेय:

1. **सामान्य:**

आरएफपी का उद्देश्य निरंतर ओईएम समर्थन की खरीद और 31 जुलाई, 2024 को सभी 5 वर्ष के सह-समापन के लिये बैंक के मौजूदा वीसी अवसंरचना का अनुरक्षण करना है। कृपया वर्तमान सेटअप पर इस आरएफपी की क्रम सं. 4 का संदर्भ लें।

- बोलीदाता लगातार ओईएम समर्थन और रा.आ.बैंक कार्यालयों के सभी स्थानों पर मौजूदा वीसी अवसंरचना के रखरखाव हेतु जिम्मेदार होगा।

- बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होगा कि बैंक की मौजूदा/भविष्य की अवसंरचनाओं और आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग और मौजूदा विनियमों के पूर्ण अनुपालन में वीसी सेटअप को कॉन्फ़िगर किया गया है।

- बोलीदाता अनुबंध अवधि के दौरान समय-समय पर लागू होने वाले उपकरणों पर नियमित रूप से अपेक्षित सॉफ़्टवेयर / पैच / एप्लिकेशन को निशुल्क उन्नयन करने हेतु जिम्मेदार होगा। उक्त को ओईएम से इसकी उपलब्धता के 15 दिनों के भीतर प्रभावी किया जाना है।

- बोलीदाता किसी भी मुद्दे का समाधान प्रदान करेगा जो कि बैंक के इंट्रानेट और इंटरनेट पर बाह्य पक्षों के साथ रा.आ.बैंक समापन बिंदु/मोबाइल उपकरणों के बीच संभव सभी वीसी परिदृश्यों के मामले में उत्पन्न होता है।

- बोलीदाता 5 वर्षों की संविदा अवधि के लिए पूर्ण वीसी अवसंरचना और सोल्यूशन सहित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि के लिए ऑन-साइट समर्थन और प्रबंधन करेगा।

- बोलीदाता समय-समय पर आवश्यक रखरखाव के अतिरिक्त तिमाही आधार पर ऑनसाइट निवारक अनुरक्षण प्रदान करेगा।

- समर्थन प्रदान करने में किसी भी देरी से इस आरएफपी दस्तावेज़ में उल्लिखित दंड के अनुसार जुर्माना या संविदा रद्द हो सकती है।

- किसी भी समर्थन / सॉफ्टवेयर / उपकरण समस्या के मामले में, बोलीदाता न केवल बैंक को पहले से सूचित करेगा बल्कि बैंक को बिना किसी लागत के उक्त / उन्नत मॉडल के प्रतिस्थापन समाधान / उपकरण प्रदान करेगा।

- बोलीदाता वीसी सोल्यूशन के परिचालन और विफलता परीक्षण के लिए नए/मौजूदा हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की पुन: संस्थापना, स्थानांतरण, कॉन्फ़िगरेशन/पुनः कॉन्फ़िगरेशन/ट्यूनिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

- बोलीदाता को वीसी अवसंरचना की 99.50% उपलब्धता के अपटाइम को बनाए रखने हेतु वीसी सोल्यूशन के लिए समर्थन पर विस्तृत योजना प्रदान करनी चाहिए। उक्त की गणना तिमाही आधार पर की जानी है।

- बोलीदाता मौजूदा वीसी सोल्यूशन में आवश्यक सभी पैच / अपडेट हेतु जिम्मेदार होगा।

- बैंक जरूरत के आधार पर उपकरण को उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का अधिकार रखता है। विक्रेता उपकरण को स्थानांतरित करने और संस्थापित करने और अपनी लागत पर उक्त को कमीशन करने की व्यवस्था करेगा।.

- ओईएम सहित प्रौद्योगिकी साझेदारों को वारंटी और एएमसी अवधि के दौरान बैंक को पूर्ण तकनीकी, स्पेयर्स, एमएएफ, परिचालन और अनुरक्षण सहायता प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए एक वचन-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

- ओईएम द्वारा एंड-ऑफ-सपोर्ट घोषित नहीं किए जाने तक अनुरक्षण/सहायता सेवाएं प्रदान की जानी हैं। यदि कोई उपकरण ओईएम के समर्थन से बाहर जा रहा है, तो चयनित बोलीदाता को बैंक को पहले से सूचित करना होगा ताकि बैंक अपनी प्रतिस्थापन प्रक्रिया शुरू कर सके।

- बोलीदाता बैंक को वीसी उपकरण और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बिंदु संपर्क प्रदान करेगा और एएमसी के पांच वर्षों के दौरान मुद्दों यदि कोई है तो, के समाधान के लिए व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा।

- यदि मरम्मत के लिए किसी भी सिस्टम/पार्ट को कार्यालय से बाहर ले जाने की आवश्यकता है, तो स्टैंडबाय सिस्टम/पार्ट या उच्च कॉन्फ़िगरेशन के कुछ हिस्सों, जो बैंक को स्वीकार्य हैं, उन्हें वापसी योग्य आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए।

- इस निविदा के लिए बोलीदाता को लगातार वारंटी / सभी वीसी उपकरणों के लिए समर्थन प्रमाण जमा करना होगा।

- बोलीदाता सभी लागू सांविधिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन करेगा।

6 संविदा की अवधि

संविदा की अवधि 31 दिसम्बर, 2024 तक वार्षिक समीक्षा और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन पांच वर्ष के लिए होगी।

टिप्पणी:
यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं है, या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

7. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

7.1 सामान्य:-

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी, एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं से किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।

- किसी भी बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले संविदा-पूर्व अनुबंध पैक्ट को छोड़कर कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि अनुबंधात्मक करार का निष्पादन न किया जाये। बोलियों का मूल्यांकन एवं उसे अंतिम रूप देने और सफल बोलीदाता की पहचान करने के बाद, प्रमाणिकता पैक्ट सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले निश्चित करार का हिस्सा बनेगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, अनुबंध पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट प्रस्तुत की गई बोली के संबंध में उक्त अनुबंध पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा प्रतिबद्ध किसी भी कार्य/चूक के लिए उन पर बाध्यकारी होगी।

- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर(रों) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

श्री राजीव रंजन सहायक महाप्रबंधक ईमेल आईडी: rajiv.ranjan@nhb.org.in दूरभाष: 011- 39187234	श्री अनुज रस्तोगी उप महाप्रबंधक ईमेल आईडी: **anuj.rastogi@nhb.org.in** दूरभाष: 011- 39187044

- रा.आ.बैंक निविदा/आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।

- सभी बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।

- यदि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो रा.आ.बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति/यों से सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार प्रात: 10.00 से सायं 6.00 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।

- रा.आ. बैंक अपने आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

7.2 **बोली पूर्व बैठक**

इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 25-09-2019 को 1800 बजे से पहले अथवा ईमेल द्वारा या पोस्ट द्वारा उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

7.3 **निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति**

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सार्फ़्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

7.4 **निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता**

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

7.5 **मिटाना अथवा संशोधन**

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जाये। "ठीक", "स्वीकृत", "विख्यात", जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, .आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

7.6 **बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन**

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर रा.आ.बैंक किसी कारण के लिए बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन/सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है>
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

7.7 **बोली की भाषा**

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

7.8 **प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली**

बोलीदाता को आवृत्त वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करना भी आवश्यक है जो प्राधिकृत बोली (मूल्य प्रच्छादन (मास्किंग) के पश्चात राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की प्रति होती है । **यह अनिवार्य है।** वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से नहीं मिलती है।

7.9 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

रा.आ.बैंक के पास आरएफपी में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। रा.आ.बैंक के पास समय-समय पर आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

7.10 न्यूनतम पात्रता मानदंड

न्यूनतम पात्रता मानदंड का अनुपालन नहीं करने वाले प्रस्तावों को, जैसा कि नीचे दिया गया है, अस्वीकार कर दिये जायेंगे और तकनीकी बोली के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव को निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड का पालन करना चाहिए:

1. बोलीदाता को अधिमानतः भारत में निगमित एक फर्म/कंपनी/सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/ सरकारी कंपनी होना चाहिए और और वीसी सोल्यूशन के कार्यान्वयन में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

2. बोलीदाता को भारत में कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / वित्तीय संस्थान / पीएसयू/ सरकारी संगठन में एमसीयू आधारित पॉलीकॉम वीसी सोल्यूशन को सफलतापूर्वक लागू करने का अनुभव होना चाहिए। उपरोक्त परियोजनाओं के लिए बोलीदाता को अपने फोन नंबर के साथ संपर्क व्यक्ति के नाम जैसे विवरण प्रस्तुत करने चाहिए।

3. बोलीदाता भारत में पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए वीसी सोल्यूशन प्रदाता/वीसी सिस्टम इंटीग्रेटर होना चाहिए। इस तरह के सिस्टम इंटीग्रेटर्स का ओईएम के साथ निरंतर समर्थन करार होना चाहिए और ओईएम का एक मान्यता प्राप्त सेवा-साझेदार होना चाहिए। ऐसे बोलीदाताओं को ओईएम (मेसर्स पॉलीकॉम) से प्राधिकरण का एक पत्र और एक मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

4. बोलीदाता के पास कम से कम 2 ग्राहकों के लिए 10 पोर्ट या उससे ऊपर और 12 समापन बिंदुओं के लागू हार्डवेयर आधारित एमसीयू के साथ एएमसी अनुबंध होना चाहिए।

5. बोलीदाता को डेस्कटॉप / लैपटॉप / मोबाइल उपकरणों आदि के बीच वीसी की सुविधा के साथ कम से कम एक पॉलीकॉम एमसीयू आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परियोजना को लागू करना चाहिए था।

6. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए यानी 2016- 2017, 2017-2018 और 2018-19 में 100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का न्यूनतम वार्षिक कारोबार करना चाहिए।

7. बोलीदाता के पास पिछले 3 लगातार वित्तीय वर्षों के लिए सकारात्मक निवल मालियत होना चाहिए।

8. बोलीदाता के पास वैध आईएसओ 9001 और आईएसओ 27001 प्रमाण पत्र होना चाहिए।

9. बोलीदाता का दिल्ली और मुंबई में प्रत्यक्ष समर्थन कार्यालय होना चाहिए और सभी रा.आ.बैंक स्थानों पर (सीधे या चैनल पार्टनर/निवासी सहायता कार्यालयों के माध्यम से) प्रस्तावित समाधान के लिए समर्थन और अनुरक्षण प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। बोलीदाता को रिज़ॉल्यूशन मैट्रिक्स (अनुलग्नक XIII) के अनुसार ऐसी सहायता सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। बोली के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेजी प्रमाण। भारत भर में शिकायत लॉगिंग और प्रबंधन के लिए बोलीदाता का अपना टोल फ्री नंबर होना चाहिए।

10. बोलीदाता को इस निविदा के लिए वारंटी अवधि और एएमसी के लिए उद्धृत और समर्थन करने हेतु अनुलग्नक XI के अनुसार ओईएम/ निर्माता प्राधिकरण फॉर्म (एमएएफ) पत्र प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत न कर पाने पर बोली को मूल्यांकन के लिए नहीं लिया जा सकता है।

टिप्पणी:

- **बोलीदाता को अनुलग्नक - III के अनुसार अनुपालन और विचलन विवरण प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत न कर पाने पर आगे के मूल्यांकन के लिए बोलियां नहीं ली जा सकती हैं।**
- **प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उपरोक्त सभी मानदंडों के संबंध में विक्रेता को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। विक्रेताओं के प्रस्ताव जो उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
- **उपरोक्त के साथ-साथ, बोलीदाता को इस निविदा के लिए ओईएम से अनुलग्नक - XI के अनुसार निर्माता प्राधिकरण फॉर्म (एमएएफ) प्रदान करना होगा, और साथ ही प्रदान न कर पाने पर बोली को आगे मूल्यांकन के लिए नहीं लिया जा सकता है।**

7.11 **तकनीकी बोली का मूल्यांकन**

i. बोलीदाता से प्राप्त न्यूनतम पात्रता मानदंड बोली बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी, जो रा.आ.बैंक द्वारा अधिसूचित अनुसूची के अनुसार उपस्थित होना चाहते हैं। एक विस्तृत विश्लेषण बाद में रा.आ.बैंक द्वारा किया जाएगा। 'न्यूनतम पात्रता मानदंड' की प्रतिक्रियाओं के आधार पर, बोलीदाता को तकनीकी मूल्यांकन के लिए आगे सूचीबद्ध किया जाएगा।

ii. तकनीकी बोली का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर तकनीकी बोली प्रत्येक बोली को सौंपी जाएगी। 80 के स्कोर (कट-ऑफ अंक) से अधिक या बराबर स्कोर प्राप्त करने वाली तकनीकी बोलियां आगामी राउंड में विचार के लिए योग्य होंगी। तकनीकी मूल्यांकन के पैरामीटर मोटे तौर पर निम्नानुसार हैं:

अंक वितरण

अधिकतम बिंदु: 100

क्रम सं.	मानदंड	मानदंड बिंदु	अधिकतम मानदंड अंक
1	पॉलिकॉम उपकरण/अवयवों के साथ बोलीदाता को न्यूनतम 1 एमसीयू आधारित वीसी सोल्यूशन लागू करना चाहिए। (केवल पिछले 3 वर्षों के संविदा को अंक देने के लिए माना जाएगा) ● भारत में सरकारी क्षेत्र /पीएसयू/बैंक /वित्तीय संस्थान/एलसी में 3 या इससे अधिक के लिए ● भारत में सरकारी क्षेत्र /पीएसयू/बैंक /वित्तीय संस्थान/एलसी में 1-3 के लिये	10 05	अधिकतम अंक 10

	• भारत में सरकारी क्षेत्र /पीएसयू/बैंक /वित्तीय संस्थान/एलसी में 1 से कम	00	
2	कम से कम एक ग्राहक द्वारा संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र जहां वीसी कार्यान्वयन परियोजना की गई थी। (प्रमाण पत्र वर्तमान और वैध होना चाहिए और पॉलीकॉम उपकरण / अवयवों के लिए विशिष्ट होना चाहिए) • 3 या अधिक ग्राहकों द्वारा संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र • 3 से कम ग्राहकों द्वारा संतोषजनक सेवा प्रमाणपत्र	 10 05	अधिकतम अंक 10
3	कम से कम 5 वर्षों के लिए वीसी बिजनेस में होने का ट्रैक: • 7 से अधिक वर्षों के लिए बिजनेस में होना • 5 से 7 वर्षों के लिए बिजनेस में होना	 10 05	अधिकतम अंक 10
4	पॉलीकॉम ओईएम प्रमाणित इंजीनियर (प्रासंगिक प्रमाण पत्र के साथ प्रदान की जाने वाली सूची) • 5 एवं इससे अधिक पॉलीकॉम (ओईएम) अहर्ता-प्राप्त व्यक्ति • ≥3 एवं 5 पॉलीकॉम (ओईएम) अहर्ता-प्राप्त व्यक्ति • ≥ एवं < 3 पॉलीकॉम (ओईएम) अहर्ता -प्राप्त व्यक्ति	 10 07 03	अधिकतम अंक 10
5	विभिन्न शहरों/ कस्बों में वीसी कार्यान्वयन (एमसीयू आधारित), (केवल पिछले 3 वर्षों के संविदा को अंक देने के लिए माना जाएगा): • प्रमुख मेट्रो शहरों सहित > 50 विभिन्न शहरों/कस्बों में • प्रमुख मेट्रो शहरों सहित >25 एवं ≤50 विभिन्न शहरों/कस्बों में • प्रमुख मेट्रो शहरों सहित ≥10 एवं ≤25 विभिन्न शहरों/कस्बों	 10 07 03	अधिकतम अंक 10
6	एमसीयू आधारित वीसी सोल्यूशन कार्यान्वयन जो केवल पॉलीकॉम बनाने के उपकरण से किया जाता है: • हाँ • नहीं	 10 00	अधिकतम अंक 10
7	तकनीकी और अहर्ता-प्राप्त श्रमशक्ति - न्यूनतम योग्यता: इंजीनियरिंग में डिग्री/ डिप्लोमा या वीसी परियोजनाओं को लागू करने में इसके समकक्ष न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव - उनके नाम, आयु और योग्यता के साथ प्रदान की जाने वाली सूची (पीएफ/ईएसआई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना है) • 25 एवं इससे अधिक अहर्ता-प्राप्त एवं अनुभवी इंजीनियर • ≥ 10 एवं 25 अहर्ता-प्राप्त एवं अनुभवी इंजीनियर • ≥ 6 एवं 10 अहर्ता-प्राप्त एवं अनुभवी इंजीनियर	 10 07 03	अधिकतम अंक 10
8	पिछले 3 वित्तीय वर्षों (2016-17, 2017-18 और 2018-19) के लिए औसत आवर्त (करोड़ रुपये में) • >500 • >200 एवं ≤500	 10 07 05	अधिकतम अंक 10

	• ≥100 एवं ≤200		
9	ऑन-साइट संसाधनों और बोलीदाता की शिकायत वृद्धि संरचना का समर्थन करने के लिए बैक-एंड तकनीकी संसाधनों के अनुसार बोलीदाता की प्रोफ़ाइल और क्षमता पर प्रस्तुति। *बैंक स्थल दौरे और ग्राहकों की प्रतिक्रिया के माध्यम से तथ्यों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित कर सकता है।*		अधिकतम अंक 20

टिप्पणी:

i. बोलीदाताओं को उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक मानदंड के एवज में सहायक दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करनी हैं, जिसके बिना बोली अस्वीकार की जा सकती है।

ii. कुल 80 अंकों में से 70 के अंक के बराबर या उससे अधिक का कुल स्कोर प्राप्त करने वाली तकनीकी बोलियाँ (प्रस्तुति के लिए अंक छोड़कर) प्रस्तुति बनाने के लिए योग्य होंगी।

iii. तकनीकी बोलियों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक कुल 100 अंकों में से 80 (कट-ऑफ अंक) (प्रस्तुति के लिए अंक सहित) होंगे।

7.12 वाणिज्यिक बोली

केवल तकनीकी बोली प्रक्रिया के आवश्यक मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली दौर के लिए योग्य माना जाएगा।

बैंक मूल्यांकन मानदंड, कार्यप्रणाली, वितरण बिंदु और भार को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है; यदि ऐसा करना आवश्यक लगता है।

7.13 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज

- **अनुलग्नक I में** यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
- **अनुलग्नक II** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता का अनुभव विवरण;
- **अनुलग्नक III** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
- **अनुलग्नक IV** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में विचलन की सूची, यदि कोई हो;
- **तकनीकी बोली कवरिंग पत्र**: अनुलग्नक V में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में;
- **तकनीकी बोली प्रारूप**: अनुलग्नक VI में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में;
- **अनुलग्नक VII** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में वाणिज्यिक बोली कवरिंग पत्र;
- **अनुलग्नक VIII** में यथा निर्दिष्टः वाणिज्यिक बोली प्रारूप;
- **अनुलग्नक IX** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
- **अनुलग्नक X** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में सक्षमता पत्र;
- **अनुलग्नक XI** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में निर्माता प्राधिकरण फॉर्म;
- **अनुलग्नक XII में** प्रारूप में मुख्य कार्मिक का बायोडेटा;
- **अनुलग्नक XIII** में प्रारुप में संकल्प मैट्रिक्स

अनुलग्नक XIV *(संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर स्पष्ट टाइप किया जाना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से उक्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए)* में प्रारूप में संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट (जहां भी लागू हो)।

टिप्पणी: ईएमडी राशि के बिना बोलियों को संक्षिप्त रूप में खारिज कर दिया जाएगा।

7.14 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी। भारतीय रूपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.15 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 200,000 रूपये (दो लाख रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं .	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं .	110004005

ख.भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र, जैसा **अनुलग्नक IX** में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ग. यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

घ. ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ङ. अन्यथा यहां दिए गए या निश्चित करार में, सभी असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर वापस कर दी जाएगी।

च. अन्यथा यहां दिए गए या निश्चित करार में, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि एसएलए के निष्पादन के बाद वापस कर दी जाएगी ।

छ. ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली/बोलियां आहरित कर लेता है;

- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है;
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल हो जाता है;तथा
- अनुबंध-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

7.16 निष्पादन गारंटी

लागू वारंटी/एएमसी/ सहायता अवधि (यथा लागू) के लिए बोलीदाता को उस वर्ष / तिमाही (यथा लागू) के लिए अग्रिम भुगतान हेतु समान मूल्य के लिए पीबीजी प्रदान करना है। निष्पादन गारंटी उस अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन महीने की अवधि तक वैध होनी चाहिए। पीबीजी से अपेक्षित है कि सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानूनों और किसी भी अन्य कानूनों/नियमों/विनियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन न करने सहित आरएफपी टर्म/टर्मों में गैर-निष्पादन या चूक के जोखिम के एवज में रा.आ.बैंक के हितों की रक्षा करे। संविदा की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक, पीबीजी के आह्वान को वारंट कर सकता है, और यदि बोलीदाता के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप चलनिधि नुकसान/जुर्माना लगाया जाता है, तो रा.आ.बैंक ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निष्पादन गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरएफपी टर्म/टर्मों में गैर-निष्पादन या चूक के रूप में रा.आ.बैंक का निर्णय, जिसमें लागू सांविधिक प्रावधानों का पालन न करना आदि सहित अंतिम होगा और सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा।

7.17 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा दी गई कीमतें और अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वाणिज्यिक बोली जमा करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

- असाधारण परिस्थितियों में, रा.आ.बैंक वैधता की अवधि के विस्तार के लिए बोलीदाताओं की सहमति प्राप्त कर सकता है। इस तरह का कोई भी अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में दी जाएगी। प्रदत्त बोली सुरक्षा / ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

7.18 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा:

- **भाग I**: इसमें न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली और मास्क्ड वाणिज्यिक बोली [बिना किसी कीमत के बोलियों की कीमत] शामिल हैं। उपरोक्त विषय-सूची को **"वीडियो कॉन्फ्रेंस अनुरक्षण / सहायता सेवाओं के लिए तकनीकी प्रस्ताव"** के रूप में संदर्भित किया

- **भाग II**: यहाँ केवल वाणिज्यिक बोली को कवर करने के लिए **"वीडियो कॉन्फ्रेंस अनुरक्षण / सहायता सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव"** के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- मूल बोलियां टाइप की जाएंगी या अमिट स्याही से लिखी जाएंगी और संविदा हेतु बोलीदाता को आबद्ध करने के लिये किसी व्यक्ति या विधिवत प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोली पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों असंशोधित साहित्य को छोड़कर, बोलियों के सभी पृष्ठों पर अपना आद्याक्षर करेंगे।

7.19 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिह्नांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिये पते पर रा.आ. बैंक को भेजे जाएंगे :

  महाप्रबंधक
  सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
  राष्ट्रीय आवास बैंक
  कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र
  लोधी रोड
  नई दिल्ली - 110003

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग से मुहरबंद करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और इसके ऊपर **"वीडियो कॉन्फ्रेंस अनुरक्षण / सहायता सेवाओं के लिए तकनीकी प्रस्ताव"** एवं **वीडियो कॉन्फ्रेंस अनुरक्षण / सहायता सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव"**अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफों मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गया तो रा.आ.बैंक बोलियों के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

7.20 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

7.21 **विलम्ब से प्राप्त बोलियां**

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

7.22 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

- **तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:**

राष्ट्रीय आवास बैंक,
कोर 5ए, भारत पर्यावास केंद्र,
लोधी रोड,
नई दिल्ली- 110003

- बोलीदाता के नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तथा अन्य ब्योरे जिसे रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार उचित समझता है, की घोषणा बोली खोलने के समय की जाएगी।

7.23 **बोलियों का स्पष्टीकरण**

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.24 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7.25 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

7.26 **बोलीदाताओं को निर्देश:**

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

7.27 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

बोलीदाता के पास नई नई दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह इस परियोजना के तहत सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कर सके।

7.28 मैनुअल/ड्रॉइंग

बोलीदाता संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सप्ष्ट तौर पर उल्लिखत होनी चाहिए।

7.29 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व की बैठक के बाद ही बोलियाँ जमा करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति
नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-डिलीवरी के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

7.30 **कीमतों का प्रकटन**

किसी भी रूप में या किन्हीं कारणों से कीमतों को वाणिज्यिक बोली को छोड़कर बोली के तकनीकी या अन्य भागों में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफलता बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7.31 **बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें**

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है और यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें इस आरएफपी पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं है तो वे खंड अनुलग्नक-IV के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शायें कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

7.32 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

7.33 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

7.34 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

7.35 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

7.36 कानूनों का अनुपालन

(क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.37 बौद्धिक संपदा अधिकार

पैनल विक्रेता के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

(क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्चे पर (क) रा.आ.बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त

बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्ति समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।

(घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अत: इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रकियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

7.38 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यी उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

(क) यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल अर्जित/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने निर्णयनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा कि पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान किया गया है।

(ग) उचित अवधि के लिए रा.आ.बैंक द्वारा रोक।

8 वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलदाताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित वाणिज्यिक नियमों व शर्तो पर ध्यान दें।

8.1 मूल्य

क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।

ख) कीमत पांच साल की पूर्ण संविदा अवधि के लिए वैध और दृढ़ होनी चाहिए।

ग) कीमत में वाणिज्यिक बोली के अनुसार सभी कर (जीएसटी को छोड़कर) , शुल्क, उदग्रहण प्रभर, ढुलाई, बीमा, चुंगी इत्यादि शामिल होने चाहिए।

घ) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य, बोलीदाता के संविदा के प्रदर्शन के दौरान यानी पांच साल की अवधि के लिए जिसे रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक होने पर बढ़ाया जा सकता है, स्थिर रहेगा।

ङ) समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

च) अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक पिछले वर्ष के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद सालाना आदेश देगा।

8.2 भुगतान शर्तें

कोई भी भुगतान निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार पीबीजी की प्रस्तुति एवं एसएलए पर हस्ताक्षर के बाद ही जारी किया जाएगा।

भुगतना शर्तें निम्नलिखित हैं:

क) वार्षिक एएमसी / ऑन-साइट समर्थन प्रभार (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) का भुगतान रा.आ.बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में तिमाही आधार पर किया जाएगा। समान मूल्य के पीबीजी जमा करने के बाद ही तिमाही एएमसी शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।

8.3 संविदा की समाप्ति की स्थिति में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान को लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।